न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 14/2016
दायर दिनांकः 03.10.2016

उनवान

1. सीमा पत्नि गोपाल बैरवा निवासी चेनपुरिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. हरलाल पिता सुरजा गुजर निवासी ठिकरीया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
2. प्रभुनाथ पिता मोडानाथ बावजी निवासी ठिकरीया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
3. रामचंद्र पिता माधु बलाई निवासी ठिकरीया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

श्री हरि ओम सनाढ्य :— अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय दिनांकः 18.09.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीया सीमा पत्नि गोपाल बैरवा निवासी चेनपुरिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा ने दिनांक 07.09.2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चेनपुरिया उर्फ ठिकरीया प0ह0 कल्याणपुरा तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 405/335 रकबा 1.05 बीघा स्वयं की खातेदारी मे चली आ रही है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि किसी भी व्यक्ति को रहन विक्रय नही किया है। करीब 3 माह पूर्व विपक्षीगण जो कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के पडोसी भी है ने जबरदस्ती भुजबल एवं बाहुबल के आधार पर कब्जा कर लिया है। विपक्षीगणो को जब कब्जा छोडने को कहां गया तो विपक्षीगण लडाई झगडा कर मारपीट पर आमादा हो गये। प्रार्थीया ने उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से विपक्षी को बेदखल कर कब्जा स्वयं प्रार्थीया को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए है। विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट भू—अभिलेख निरीक्षक बीगोद से प्राप्त की गई। भू— अभिलेख निरीक्षक, बीगोद द्वारा दिनांक 11.09.2020 को विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम चेनपुरिया प0ह0 कल्याणपुरा स्थित विवादित भूमि के आराजी नं. 405/335 रकबा 1.05 बीघा भूमि पर प्रार्थीया सीमा पत्नि गोपाल बैरवा निवासी चेनपुरिया तहसील माण्डलगढ का ही कब्जा है एवं प्रार्थीया ने उक्त भूमि पर मक्का की फसल काश्त की हुई है। विवादित भूमि पर अन्य किसी का कब्जा नही है। मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वर्तमान मौका रिपोर्ट व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नही करवायी है। विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर स्वयं प्रार्थीया का ही कब्जा होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे प्रार्थीया के अधिवक्ता की उपस्थिति मे सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner